www.shriramedu.com
9414015200
श्रीराम कॉम्पिटिशन क्लासेज प्रा.लि. सीकर
An ideal institute for Competitive Exams
हैड ऑफिस: भाटी मेंशन, बजाज रोड, सीकर 01572-254777
HAND WRITTEN Classroom Coaching NOTES
Best Faculty Team + Super Coaching System + Personal care = श्रीराम कोचिंग, सीकर

विषय :- Pol. Sci.-(Constitution)

RAS-Mains

अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 राज्य व संघ शासित प्रदेश ।

अनुसूची - 2 संचित निधि पर भारित वेतन ।

केन्द्र	राज्य
→ राष्ट्रपति	राज्यपाल
→ राज्यसभा के सभापति, उप-सभापति	विधानपरिषद् के सभापति, उप सभापति
→ लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष	विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
→ उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश	उच्च न्यायालय के न्यायधीश
→ CAG	

अनुसूची - 3 शपथ का प्रारूप

केन्द्र	राज्य
M.P. का उम्मीदवार	M.L.A का उम्मीदवार
M.P.	M.L.A
मंत्री	मंत्री
S.C न्यायधीश	H.C न्यायधीश

→ CAG की शपथ SC के न्यायधीश के समान होती है।

→ राष्ट्रपति की शपथ अनु. 60 में है।

→ उपराष्ट्रपति की शपथ अनु. 69 में है

→ राज्यपाल - 159 अनु.

→ लोक सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है।

अनुसूची - 4 :- राज्यसभा सीटों का बँटवारा ।

अनुसूची - 5 :- अनुसूचित एवं जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से सम्बन्धित प्रावधान ।

अनुसूची - 6 :- अनुसूचित व जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से सम्बंधित प्रावधान ।
(असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)

अनुसूची - 7 :- केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ।

	(आरम्भ)	(वर्तमान)
संघ सूची	97	100
राज्य सूची	66	61
समवर्ती सूची	47	52

→ 42 वें संविधान संशोधन से 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किये गये।

(i) वन

(ii) वन्य जीव

(iii) नाप तोल व बाट इकाइयाँ

(iv) न्यायिक प्रशासन

(v) जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन

अनुसूची 8 :- संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएँ ।

→ मूल रूप से संविधान में "14 भाषाएँ" थी हिन्दी इसमें शामिल है जबकि English इसमें शामिल नहीं है।

15 वीं भाषा - सिंधी (21 वें संविधान संशोधन 1967 ई.)

16 वीं भाषा
17 वीं भाषा } 71 वें संविधान संशोधन द्वारा - 1992 - कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
18 वीं भाषा

19 वीं भाषा - बोडो
20 वीं भाषा - डोगरी
21 वीं भाषा - मैथिली
22 वीं भाषा - संथाली
} 92 वाँ संविधान संशोधन - 2003 ई.

अनुसूची - 9 :- विधेयकों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण ।

→ यदि किसी विधेयक को 9 वीं अनुसूची में रखा जाता है, तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती।

→ जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए व भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को शामिल किया गया था (पहले संविधान संशोधन के द्वारा)

→ आरम्भ में इसमें 13 अधिनियम थे जबकि वर्तमान में 282 अधिनियम है।

→ 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम इस अनुसूची में रखे गये है उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अर्थात् 1973 के बाद इसमें सम्मिलित अधिनियम को यह संरक्षण प्राप्त नहीं है।

अनुसूची-10 :- दल बदल विरोधी कानून।

→ यह 52 वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गयी।

→ 91 वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किये गये।

प्रावधान -

→ यदि कोई व्यक्ति (सांसद) का चुनाव के बाद दल बदलता है तो यह दल बदल माना जायेगा और उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

→ यदि दो तिहाई सदस्य सामूहिक रूप से दल बदलते है तो यह दल बदल नहीं माना जाता है इसे पार्टी का विलय माना जाता है।

→ यदि कोई सांसद whip का उल्लघंन करता है और वह राजनैतिक दल 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं करता है। तो इसे भी दलबदल का दोषी माना जायेगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

→ निर्दलीय सदस्य किसी राजनैतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता है। यदि वो राजनैतिक दल की सदस्यता लेता है तो दलबदल माना जायेगा लेकिन वो किसी को समर्थन दे सकते है।

→ MLA तथा MLC के लिए भी यह समान शर्तें है।

→ मनोनीत सदस्य मनोनयन के बाद 6 माह के भीतर किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ले सकते है।

→ दल बदल के मामले में अन्तिम निर्णय सदन का सभापति/अध्यक्ष लेता है: सभापति/अध्यक्ष के उस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

अनुसूची-11 :-

→ पंचायती राज संस्थाओं को दिये गए विषय।

→ इसमें कुल 29 विषय है राजस्थान में इसमें से "22 विषय" पंचायती राज संस्थाओं को दे दिये गये।

→ यह 73 वें संविधान संशोधन-1993 के द्वारा जोड़ी गयी है।

अनुसूची-12 :- नगरीय निकाय को दिये गये विषय।

→ इसमें कुल 18 विषय है।

→ यह 74 वें संविधान (1993) संशोधन के द्वारा जोड़ी गयी है।